कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश कमांक 23/8024-2001 शि०I(4) दिनांक चण्डीगढ़ 8-2-2002

नियमानुसार जांच उपरान्त परमहंस पब्लिक सीनियर माध्यमिक विद्यालय खेड़ी कलां (फरीदाबाद) को केवल शैक्षिक सत्र 2001–2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं मे आर्टस, कार्मस ~~एवं विज्ञान~~ सकाय प्रारम्भ करने की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक दस जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार /विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नही करेगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं की वान्छित सभी आवश्यक साधन/सुविधाए अपने खर्चे पर उपलब्ध करायेगे ।

2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्ही को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होने एम०ए०/ एस० एस० सी०/एम० काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तो की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तिया भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तो के अर्न्तगत की जायेगी।

3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए ।

4 जमा एक तथा दो कक्षाओ के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेगें इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की माग नही की जायेगी।

5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तो का पालन करना होगा।

6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जायेगें जिनकी टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाये विद्यालय मे उपलब्ध हो तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो ।

7 सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों / निदेशों का पालन किया जाएगा ।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पदलन किया जाएगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्तकालय मे प्रति छात्र छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों ।

11. स्टाफ का वेतन बैंक चैक द्वारा ही दिया जाएगा ।

Chairman
Paramhansa Sr. Sec. School
Vill. Kheri Kalan, Faridabad (Hr.)

PRINCIPAL
Paramhansa Sr. Sec. School
Kheri Kalan, Sec-84, Faridabad

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाए ।

13. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बकाया 32908/- राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक महीने में बैंक में प्लैज करवाई जाए ।

14. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है ।

15. भविष्य में छात्र/छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।

16. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेगें वह मान्य होगें ।

सुरीना राजन
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

पृ०क० साम दिनांक, चण्डीगढ़ 18-2-2002

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है ।

1. प्रबन्धक परमहंस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी कलां, फरीदाबाद ।

2 सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके क्रमांक जी-I/2001/388 दिनांक 29-3-2001 के संदर्भ मे

अधीक्षक विद्यालय-4/2
कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

Leelavati
PRINCIPAL
Paramhansa Sr. Sec. School
Kheri Kalan, Sec-84, Faridabad

Chairman
Paramhansa Sr. Sec. School
Vill. Kheri Kalan, Faridabad (Hr.)

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक:23/77-2000 कि०व०-T12। दिनांक, चण्डीगढ़:25.4.2000

परमहंस पब्लिक हाई स्कूल खेड़ीकलां फरीदाबाद को दसवीं कक्षा तक स्थाई मान्यता दिनांक 1.4.2000 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है ;-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रान्ट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों को पूर्ण रूप से पालना करेगा।
4. अध्यापकों को वेतन क्रास चैक द्वारा दिया जाये।
5. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा 4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा उनके जो भी रूल बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रखेगा।
7. रिजर्व फंड राशि 55,000/- रूपये एक मास के अन्दर-2 जमा करवायेगा।
8. विद्यालय 170 छात्रों से अधिक छात्र दाखिल नहीं करेंगे।

राम गोपाल नागपाल
संयुक्त निदेशक विद्यालय
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक तथा दिनांक: 25.4.2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक जि-2/2000/85 दिनांक 27.1.2000 के सन्दर्भ में।
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी (सिवाये फरीदाबाद)।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. अधीक्षक आडिट/सैकण्डरी शिक्षा (स्थानीय)।
5. मुख्याध्यापक परमहंस पब्लिक हाई स्कूल खेड़ीकलां (फरीदाबाद)।

अधीक्षक विद्यालय-I 25/4/2000
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा।

PRINCIPAL
Paramhansa Sr. Sec. School
Kheri Kalan, Sec-84, Faridabad

Chairman
Paramhansa Sr. Sec. School
Vill. Kheri Kalan, Faridabad (Hr.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक C.C.C./97/2303-2307 दिनांक 3-9-97

विषयः- माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

परमहंस पब्लिक हाई स्कूल 293/[illegible] को

1-4-97 से छठी से आठवी कक्षा (मिडिल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदा की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नही करेगी तथा अपने ही खर्चे पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी [redacted] अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेगे ।
3. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के बराबर की राशी जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेगे । यदि राशी प्लेज्ड न कराई तो मान्यता रदद कर दी जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापको की सी०पी०एफ० की राशी स्थानीय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था की धारा 9.4 के अन्तर्गत सभी एजुकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षणके दौरान किसी भी प्रकार की अनियमिता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. - सी०डब्लू०एफ०, रैडक्रास तथा स्पोर्स्ट फन्ड की राशी का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोईभी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य का किसी भी समय चैक कर सकता है ।

जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

पृ० क्रमांक   सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ ।
2. उपमण्डल शिक्षाअधिकारी———
3. सम्बंधित विद्यालय का मुखिया ।
4. डी०एस०ई० भिवानी ।

जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद

PRINCIPAL
Paramhansa Sr. Sec. School
Kheri Kalan, Sec-84, Faridabad

Chairman
Paramhansa Sr. Sec. School
Vill. Kheri Kalan, Faridabad (Hr.)

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद

आदेश क्रमांक: जी-1-97/ 1885-86 दिनांक: 8/7/97

विषय:- प्राथमिक विद्यालय/विभाग को स्थाई मान्यता ।

--0--

परमहंस पब्लिक स्कूल खेड़ी कलां के प्रा० विभाग को 1-4-97 से पहली से पांचवीं तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1- यह संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा में किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी तथा अपने ही खर्चे पर स्कूल चलायेगी ।

2- अधिनियम में निर्धारित नार्म अनुसार विद्यालय में जे०बी०टी० [illegible] अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।

3- विद्यालय में कार्यरत जेबीटी अध्यापकों के छः मास के वेतन की राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद के नाम प्लेज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लेज्ड न कराई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।

4- वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा ।

5- सभी जेबीटी अध्यापकों की सी०पी०एफ० की राशि स्थानीय बैंक में जमा कराई जाया करेगी ।

6- [illegible] की धारा 214 के अन्तर्गत ऐजुकेशन कोड की शर्तों को पूरा करना होगा । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गलती पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।

7- सी० डब्ल्यू० एफ०, रैड क्रास तथा स्पोर्टस फण्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।

8- विद्यार्थियों से फीस फण्डस की राशि सरकारी दरों के अनुसार ली जायेगी तथा लड़कियों की पहली से पांचवीं तक की शिक्षा के लिये किसी प्रकार की फीस नहीं लेनी होगी ।

9- शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।

लाज बीका
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद

पृ० क्रमांक: [illegible]

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2- खण्ड शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद
3- सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया ।
4- [illegible] अधिकारी, कार्यालय ।

.7.97
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी

PRINCIPAL
Paramhansa Sr. Sec. School
Kheri Kalan, Sec-84, Faridabad

Chairman
Paramhansa Sr. Sec. School
Vill. Kheri Kalan, Faridabad (Hr.)